न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–100/2019

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–05.09.2019

उनवान

रामनिवास पुत्र केसरा जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक

बनाम वादी

1.नारायण पुत्र हरनाथ जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक
2 चुन्नीलाल पुत्र हरनाथ जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक
3.लछमा पुत्री हरनाथ जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक
4.शान्ति पुत्री हरनाथ जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक (मृतक)
4/1 बन्ना पुत्र माता शान्ति
4/2 जगदीश पुत्र माता शान्ति
4/3 कमलेश पुत्र माता शान्ति
4/4 नोरती पुत्री माता शान्ति
4/5 कमली पुत्री माता शान्ति जाति–बैरवा निवासी ग्राम–मजरा डिंगरडा, नयाटीला तहसील–पीपलू ,जिला टोंक
5. काली पुत्री जाति–बैरवा निवासी ग्राम–आजमपुरा, तहसील–पीपलू ,जिला टोंक
6.तहसीलदार, पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी– श्री एन.के. शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी:– श्री चतुर्भुज गुर्जर

निर्णय दिनांक– 13.09.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 28 में वर्णित भूमि ख0न0 01 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 130 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 130/253 रकबा 01 बीघा गै0मु0चाह कुल किता 03 कुल रकबा 07 बीघा 10

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

बिस्वा वाके ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू में स्थित हैं। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा हैं व खाता संख्या 107 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 242 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मोहनाबाद तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमे मुझ वादी का 1/5 हिस्सा हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित दोनों खातों की भूमि पर वादी उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। उपरोक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादीगण के पिता हरनाथ पुत्र भागीरता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। जिसके तीन पुत्र नारायण, चुन्नीलाल व केसरा तथा तीन पुत्रीयॉ लछमा, शान्ति, काली व पत्नि पन्नी थी। जिसमें से एक पुत्र अर्थात वादी के पिता केसरा की मृत्यु हरनाथ से पूर्व हो चुकी थी। जिसका एक मात्र वारिस रामनिवास था तथा जब वादी के दादा हरनाथ पुत्र भागीरथा की मृत्यु हुई तो वाके ग्राम आजमपुरा की भूमि मे वादी का नाम अंकित ही नहीं किया गया केवल प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया गया वादी उक्त भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इस कारण वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वाके ग्राम मोहनाबाद की भूमि में वादी के दादा हरनाथ पुत्र भागीरथा की विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो उसमें वादी की वल्दियत केसरा नहीं लिखंकर वादी के दादा हरनाथ का नाम अंकित कर दिया गया। जबकि वादी के पिता का नाम केसरा हैं। हरनाथ तो वादी का दादा हैं। जिसको दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रामनिवास पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामनिवास पुत्र केसरा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने अपने कथनों को दोहराते हुए राजीनामा के मुताबिक वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2038–41 खाता संख्या 36 ग्राम आजमपुरा व जमाबन्दी संवत् 2047–2051 खाता संख्या 846 वाके ग्राम पीपलू वर्तमान ग्राम मोहनाबाद की उपरोक्त भूमि हरनाथ पुत्र भागीरथा कोम बैरवा साकिन आजमपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उक्त जमाबन्दी के पश्चात हरनाथ पुत्र भागीरथा की विरासत का नामान्तकरण खोला गया तो ग्राम आजमपुरा की भूमि में वादी रामनिवास का नाम अंकित नहीं किया गया तथा ग्राम पीपलू की भूमि में वादी के पिता का नाम गलत अंकन करते हुए रामनिवास पुत्र हरनाथ के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

कर दिया गया जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में वादी के पिता का नाम केसरा तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में स्वयं प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया हैं कि वादी हमारे भाई केसरा का लड़का हैं। जिसका नाम राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। इस कारण वादी को ग्राम आजमपुरा की भूमि में 1/6 हिस्सें की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावें व ग्राम मोहनाबाद की भूमि में वादी का नाम रामनिवास पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामनिवास पुत्र केसरा अंकित किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार उपरोक्त पत्रावली में प्रस्तुत पुरानी जमाबन्दीयों , वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामा से स्पष्ट हैं कि वादी प्रतिवादीगण के भाई केसरा पुत्र हरनाथ का पुत्र हैं। अतः प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 28 में वर्णित भूमि ख0न0 01 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 130 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 130/253 रकबा 01 बीघा गै0मु0चाह कुल किता 03 कुल रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम आजमपुरा तहसील पीपलू में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं व खाता संख्या 107 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 242 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम मोहनाबाद तहसील पीपलू जिला टोंक में वादी का नाम रामनिवास पुत्र हरनाथ के स्थान पर रामनिवास पुत्र केसरा किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)